भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या †*355

उत्तर देने की तारीख 18 अगस्त, 2025
27 श्रावण, 1947 (शक)

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाएं

†*355. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी के कारण युवा प्रतिभाओं के लिए अवसरों की कमी हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में स्टेडियमों, खेल परिसरों, प्रशिक्षण केन्द्रों और कोचिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है/बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के कितने खिलाड़ियों को 'खेलो इंडिया' योजना के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति अथवा प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाएं" के संबंध में माननीय लोकसभा सदस्य श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर द्वारा दिनांक 18.08.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*355 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्टेडियम, खेल परिसर, प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग सुविधाओं की स्थापना सहित खेलों के संवर्धन की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। देश भर में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विभिन्न खेल सुविधाओं का विवरण इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। केंद्र सरकार देश भर में खेल अवसंरचना और खेल सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न स्कीम संचालित करती है। इनमें खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन आदि शामिल हैं। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। खेलो इंडिया स्कीम के अधीन अन्य खेल सुविधाओं, जैसे कि खेलो इंडिया केंद्र, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों का विवरण https://dashboard.kheloindia.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, देश भर में साई द्वारा संचालित विभिन्न खेल सुविधाओं का विवरण https://sportsauthorityofindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों सहित देश भर में 'खेलो इंडिया' स्कीम के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति या प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

*****

अनुबंध–I

"ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाएं" के संबंध में माननीय लोकसभा सदस्य श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर द्वारा दिनांक 18.08.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*355 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश भर में 'खेलो इंडिया' स्कीम के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति या प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केआईसी में एथलीटों की संख्या	केआईएससीई में एथलीटों की संख्या	खेलो इंडिया एथलीटों की संख्या (केआईए)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	4
2.	आंध्र प्रदेश	655	139	57
3.	असम	3015	71	53
4.	अरुणाचल प्रदेश	1198	81	17
5.	बिहार	939	82	17
6.	चंडीगढ़	89	55	34
7.	छत्तीसगढ	990	122	31
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	31	34	2
9.	दिल्ली	330	0	140
10.	गुजरात	422	109	68
11.	गोवा	60	67	4
12.	हरियाणा	611	81	497
13.	हिमाचल प्रदेश	280	77	32
14.	झारखंड	1080	64	51
15.	जम्मू एवं कश्मीर	2448	120	14
16.	कर्नाटक	709	46	160
17.	केरल	724	171	114
18.	लद्दाख	108	0	1
19.	लक्षद्वीप	34	0	1
20.	मध्य प्रदेश	1342	363	97
21.	महाराष्ट्र	1598	66	303
22.	मणिपुर	977	108	116
23.	मेघालय	744	74	4
24.	मिजोरम	589	26	15
25.	नगालैंड	998	82	1
26.	ओडिशा	25	0	81
27.	पुदुचेरी	0	33	8

28.	पंजाब	777	0	144
29.	राजस्थान	903	0	154
30.	सिक्किम	360	45	0
31.	तेलंगाना	601	103	59
32.	तमिलनाडु	1558	175	190
33.	त्रिपुरा	401	86	3
34.	उत्तर प्रदेश	2465	0	176
35.	उत्तराखंड	501	0	49
36.	पश्चिम बंगाल	548	0	111
	कुल	28110	2480	2808

*****